अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 12/1992

चन्द्र मोहन बिरूवा।

वनाम

गौरी बिरूवा।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख
	आदेश यह वाद दिनांक 28.09.1992 को चन्द्र मोहन बिरूवा, पिता– स्व० जराया बिरूवा, ग्राम– जराय पारसी, थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि के थाना संख्या– 248 बन्दोबस्ती प्लॉट संख्या– 1659, खाता संख्या–06, रकवा– 5.00 एकड़ भूमि के लिए प्रतिवादी गौरी बिरूवा, पिता– चन्द्र मोहन बिरूवा, ग्राम– जराय पारसी, थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्ष अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी को वाद मामले में कोई अभिरूची नहीं है। अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। Sd/- 09.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। Sd/- 09.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.14 17:02:43 +05:30
Location: 10.93.66.34